न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 10/19

GCMS NO 2019/00025

प्रेमचंद पालीवाल पुत्र नारायण जाति कोली निवासी प्लाट संख्या 2836 वार्ड संख्या 46 पालीवालो का टीवा घाटगेट जयपुर जिला जयपुर

अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन पुत्र हारया
2. फाबूलाल पुत्र भोला
3. हरदेवा पुत्र मूल्या
4. लहसन्या
5. विश्राम
6. रामसिह
7. बनवारी पिसरान श्रीया
8. दाखा बेवा श्रीया
9. अशोक पुत्र रामचरण सभी जातियान बैरवा निवासीयान थूमा तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 15/17 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 29.1.19 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा)

अभिभाषक अपीला0 श्री चिरंजी लाल बैरवा

अभिभाषक रेस्पो0 श्री धीरेन्द्र पाल सिह

दिनांक 30.4.25

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 29.1.19 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 की और से दावा अन्तर्गत धारा 53 , 188 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 235 रकबा 15 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम मण्डावरा तहसील सपोटरा वादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है तथा खातेदारी हिस्सा अनुसार फसल काश्त का लाभ लेते चले आ रहे है। उक्त आराजी रोड पर स्थित है तथा कीमती आराजी है। प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी को वादीगण के भाई बन्धुओ से खरीद लिया है। जबकि उक्त आराजी को हम वादीगण ने पूर्व से ही बाहमी बंटवारा कर रखा है। बाहमी बंटवारा अनुसार फसल काश्त का लाभ लेते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही रहा है। प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्ति है एवं पैसे वाले है। वादीगण की रोड पर उक्त आराजी होने के कार[illegible] करके हम वादीगण के हिस्से मे दखलंदाजी करने पर आमादा है। दि[illegible] न0 39 व 40 व अन्य गुण्डो के साथ उक्त आराजी पर जे सी बी [illegible] खुर्द बुर्द करने के लिए आ गये तो वादीगण ने हाथ जोडकर मना किया तो प्रतिवादी न0 39 व 40 नही माने । वा[illegible] जाति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

बैरवा श्रेणी के गरीब व्यक्ति है जबकि प्रतिवादी एस टी श्रेणी के बाहुबली व्यक्ति है। प्रतिवादी न0 39 व 40 का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है। लठठ व पैसे के बल पर उक्त रोड की आराजी पर जबरन कब्जा करके हडपना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से तहसील मे चलकर बंटवारा कराने की कहने पर उनके द्वारा साफ इंकार कर दिया गया और कहा कि हम तो लठठ के जोर पर बंटवारा कर लेगे। बंटवारे की कोई आवश्यकता नही है। इसलिए वाद कारण होने से वाद करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार वाद पत्र पेश कर विवादित आराजीयात का मुताबिक कब्जा एवं राजस्व रिकार्ड मे बंटवार किया जावे तथा खाता लगान सेपरेट करके प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलव किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व व तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। आराजी ख0न0 235 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम मण्डावरा तहसील सपोटरा मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 व 35 लगायत 38 उक्त भूमि का अपने अपने हिस्से मुताबिक खातेदार है व पुश्तैनी खातेदार काश्तकार है तथा खातेदारी मे अपना नाम अंकित है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध वास्ता नही है इसलिए प्रतिवादी न0 1 लगायत 33 व 35 लगायत 38 व वारिसानो ने अपने हिस्से को मुझ अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजो को देखे बिना ही निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। अपीलार्थी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी मे दर्ज होने के बाद नामा0 भी मुझ प्रार्थी के नाम खुल चुका है। लेकिन वादीगण ने मुझ प्रार्थी की तामिल भी नही करवाई तथा अधिनस्थ न्यायालय ने बिना तामिल व सुने बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी है। जो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण के वारिसान द्वारा उक्त आराजीयात मे अपने हिस्से अनुसार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विजय व पून्या को बेचान कर दी जिसको मुझ प्रार्थी ने जरिये विक्रय पत्र खरीद कर जमाबंदी मे नाम दर्ज करवा लिया जिन्हे भी वाद पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है। इसी खसरा न0 को लेकर अप्रार्थीगण संख्या 3 हरदेवा पुत्र मूल्या ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र पूर्व मे भी पेश किया था जिसका मुकदमा न0 39/14 उनवान हरदेवा बनाम लहलरिया वगै0 जो कि दिनांक 6.10.16 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय डिक्री कर दिया जिस... न्यायालय हाजा मे पेश कर रखी है। जो विचाराधीन है। इस तथ्य को ... वाद पत्र मे कही भी पूर्व वाद पत्र का उल्लेख नही किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित कर अहम भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

लगायत 9 ने प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 42 को जैर परेशान करने की गरज से पक्षकार बनाया गया है जिनका उक्त आराजीयात से कोई संबंध नही है और ना ही खातेदार है। बल्कि प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 42 को प्रार्थी ने उक्त आराजीयात को बंटाई पर दे रखी है। क्योकि प्रार्थी अपना व्यवसाय जयपुर मे कर रहा है जो यहॉ रहकर कृषि कार्य नही कर सकता । वह समय समय पर उक्त आराजीयात पर आता जाता रहता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 42 के विरूद्व पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 व 35 लगायत 39 से व इनके वारिसान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है तथा अपीलार्थी का हक उक्त जमीन पर है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 33 व 35 लगायत 39 से व इसके वारिसान से खरीदी जमीन जरिये विक्रय पत्र को निरस्त कर दिया है। जिसे निरस्त करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नही है। विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। वादीगण द्वारा गुप चुप तरीके से प्रार्थी के खिलाफ अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पेश किया जाकर बिना सम्मन तामील के ही साज कर अपने पक्ष मे वाद पत्र को डिक्री करवा लिया है। वादी दिनांक 20.2.19 को अपीलार्थी के बटाईदार को हेरान परेशान करने लग गया तथा कहा कि हम दावा जीत चुके है तब अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी होने पर अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि आराजी ख0न0 235 रकबा 15 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम मण्डावरा तहसील सपोटरा रेस्पो/वादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। जो पुश्तैनी खातेदारी की है तथा खातेदारी हिस्सा अनुसार रेस्पो/वादीगण फसल काश्त का लाभ लेते चले आ रहे है। उक्त आराजी रोड पर स्थित है तथा कीमती आराजी है। अपीलांट/प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी को रेस्पो/वादीगण के भाई बन्धुओ से खरीद लिया है। जबकि उक्त आराजी को हम रेस्पो/वादीगण ने पूर्व से ही बाहमी बंटवारा कर रखा है। बाहमी बंटवारा अनुसार फसल काश्त का लाभ लेते चले आ रहे है। रेस्पो/प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही रहा है। रेस्पो/वादीगण की रोड पर उक्त आराजी होने के कारण अपीलांट/प्रतिवादीगण कब्जा करके हम रेस्पो/वादीगण के हिस्से मे दखलंदाजी करने पर आमादा है। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने की नियत से आ जाने पर रेस्पो0/वादीगण द्वारा उनसे विधिवत बंटवारा कराने को कहा गया तो उनके द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया। रेस्पो0/वादीगण एस सी वर्ग के गरीब व्यक्ति है तथा अपीलांट एस टी वर्ग मे धनाढय व्यक्ति है जो पैसे के बल पर हमारी उक्त आराजी से रेस्पो0 को जबरन बेदखल करने पर आमादा हो गये। विवादित आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही होने एवं अपीलांटगण द्वारा विधिवत बंटवारा कराने की कार्यवाही करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि बिना तामील के ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र डिक्री किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:53 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जबकि सत्यता यह है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण बाबजूद तामिल के अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 3,35 व 36 के अधिवक्ता अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए है परन्तु उनके द्वारा जबाब दावा पेश नही करने के कारण जबाब दावा बंद किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2071–74 मे विवादित आराजीयात वादीगण/रेस्पो0 एवं अपीलांट/प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजीयात दर्ज होने से वादीगण बंटवारा कराने का अधिकारी होने से विवादित आराजीयात के बावत विधिवत रूप से तहसीलदार सपोटरा को 300/–रूपये की फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवाने के आदेश जारी किये गये है। चूकिः तहसीलदार सपोटरा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे मौका रिपोर्ट भिजवाना शेष होने से पूर्व ही अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई है। जिससे फाईनल डिक्री की प्रोसिडिग रूक गई है। विधिक रूप से प्राथमिक डिक्री की अपील नही हो सकती है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय मे रेस्पो/वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण 1 लगायत 43 बनाये गये थे एवं वादीगण 9 बनाये जाकर वाद पेश किया गया था परन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मे केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 34 प्रेमचंद पालीवाल को अपीलांट बनाया जाकर अपील पेश की गई है शेष प्रतिवादीगण को अपीलांट द्वारा अपील मे ना तो अपीलांट बनाया है ना ही रेस्पो0 के रूप मे पक्षकार बनाया गया है। बिना पक्षकार बनाये न्याय के नेसर्गिक सिद्वान्त एवं विधि विरूद्व तरीके से अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि विरूद्व पेश की गई है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात खसरा न0 235 रकबा 15 बीघा 4 विस्वा वाके ग्राम मण्डावरा हाल ग्राम खूबपुरा तहसील सपोटरा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जो जमाबंदी सम्वत 2071–74 के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त आराजीयात मे से कुछ भूमि को वादीगण सहखातेदारो द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 34 प्रेमचंद पालीवाल को विक्रय किया गया है। चूकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा हुए बिना ही भूमि का कुछ हिस्सा अपीलांट को बेचान किया गया है। जिसे वादीगण/रेस्पो0 द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे बिना तामिल कराये ही साजीशी तामिल मानकर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण संख्या 3.35 एवं 36 की और से अधिवक्ता उपस्थित हुए है जिनका वकालतनामा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। परन्तु उनके द्वारा जबाब दावा पेश नही करने के कारण जबाब दावा बंद किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात की मौके एवं कब्जे के अनुसार मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु [illegible] मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे पत्रावली मौका रिपोर्ट के [illegible] मे नियत थी परन्तु मौका रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही अपीलांट द्वारा [illegible] प्रस्तुत कर दी गई जिससे अधिनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग स्थगित हो गई। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.30 13:47:53 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

की संख्या 43 थी परन्तु उनमे से केवल प्रतिवादी संख्या 34 प्रेमचंद के द्वारा ही अपील पेश की गई है तथा जिसमे रेस्पो0 1 ता 9 को ही पक्षकार बनाया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 33 व 35 लगायत 43 को अपील मे पक्षकार नही बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे वादी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर प्राथमिक डिकी पारित की गई है। जबकि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात के बंटवारे हेतु दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिक डिकी पारित करनी चाहिए । इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिकी अपास्त योग्य है। तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के मु0नं0 15/17 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 29.01.19 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सहखातेदारान को प्रकरण मे साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुंनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 22.6.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:47:53 IST
Reason: SelfAttested